(17)

संख्या–201 बीपी/35–1–2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 07 अगस्त,2014

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में शासनादेश संख्या–243(1)/35–आ–1/2011 दिनांक 11 फरवरी, 2011 के माध्यम से बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन सिंचाई विभाग की Restoring canal section and lining of Maudha main canal नामक परियोजना को रू. 1853.95 लाख की लागत (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू 1553.95 लाख+मनरेगा से रू 300.00 लाख) सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू. 1125.00 लाख की धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अवमुक्त की गई थी, जिसमें से वर्ष 2010–11 में मात्र रू 6.00 लाख का व्यय हुआ है तथा शेष धनराशि समर्पित हो गई। वित्तीय वर्ष 2011–12 में शासनादेश संख्या–487/35– आ–1/2011, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के माध्यम से परियोजना के कार्यो को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में रू. 1547.95 लाख की धनराशि विभाग को अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा वर्ष 2011–12 में रू 471.41 लाख की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित हो गयी। वर्ष 2012–13 में परियोजना के कार्यो को पूर्ण करने हेतु रू 1076.54 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई थी, जिसके सापेक्ष रू 204.72 लाख का व्यय हुआ और शेष धनराशि समर्पित हो गयी। वर्ष 2013–14 में परियोजना के कार्यो को पूर्ण करने हेतु रू 871.82 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई थी, जिसके सापेक्ष रू 169.96 लाख का व्यय हुआ और शेष धनराशि समर्पित हो गयी। इस प्रकार कुल मिलाकर रू 852.09 लाख का व्यय हुआ है और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुमन्य रू 1553.95 लाख के सापेक्ष रू 701.86 लाख की धनराशि व्यय करने हेतु बचती है। अतः परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिये अवशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष रू 701.86 लाख (रूपये सात करोड एक लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– संदर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2– मनरेगा से अपेक्षित धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से समन्वय करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3— इस शासनादेश से उक्त कार्य की अनुमोदित लागत में सम्मिलित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है तथा कोई अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु शेष नहीं रह जाती है। कार्य को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4— स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा—जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव, नियोजन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5— राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

6— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व सिंचाई विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

7— कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेगें।

2— स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014—15 के बजट के अनुदान संख्या—40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष—4575—अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत—02—पिछड़े क्षेत्र—800—अन्य व्यय—04—बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं—40—मौदहा मुख्य नहर की पुनर्स्थापना एवं लाइनिंग का कार्य—24—वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय—ज्ञाप संख्या बी—1—2457/दस—2014—231/2014, दिनॉक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 201 (1)/35–1–2014 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2– महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग/ग्राम्य विकास विभाग।
4– प्रमुख सचिव, वित्त।
5– निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6– मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
7– जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
8– मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9– कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
10– गार्ड फाईल।
11– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5
12– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।

आज्ञा से,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।